राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141-2227275, ई-मेल : Seprd123@gmail.com

क्रमांक :- एफ 4(14) संविदा/विधि/पंरा/2012/ 846 जयपुर, दिनांक :- 5.4.16

परिपत्र

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 181 (1) के कम में विभागीय परिपत्र क्रमांक 2069 दिनांक 21.9.2012 के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे। सरपंच संघ/ग्राम सेवक संघ से प्राप्त सुझावों/ज्ञापन के आधार पर परिपत्र दिनांक 21.9.2012 में अंकित निर्देशों/प्रावधानों में निम्न संशोधन किये जाते है:-

प्रासंगिक पत्र की प्रावधान संख्या	प्रावधान का विवरण	(संशोधित प्रावधान)
1(iv)/page 3	कार्य को पूर्ण कराने की निर्धारित अवधि बिन्दु संख्या 1.4 अनुसार	कार्य को पूर्ण कराने की निर्धारित अवधि परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।
1(xviii)/page 8	धरोहर राशि वापसी- किसी कार्य में धरोहर राशि कार्य डिफेक्ट लाईबिलिटी 2 वर्ष की समयावधि गुजरने एवं कार्य तदनुसार सही स्थिति में होने के सत्यापन के पश्चात् ठेकेदार को लौटाई जावेगी।	दोष चिन्हीकरण अवधि परिशिष्ठ-2 पर संलग्न है।
Praptra – 2 Page – 23	ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्रा.प.........के पक्ष में स्थानीय बैंक शाखा में देय हो के नाम से धरोहर एवं अमानता राशि जमा कराने का प्रावधान किया गया है।	धरोहर एवं अमानत राशि का ड्राफ्ट "ग्राम पंचायत ...." के पक्ष में स्थानीय बैंक शाखा मे देय हो के नाम से लिया जा सकेगा ।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रावि एवं पंराज को डायरी क्रमांक 10019 दिनांक 7.12.2015 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंराज ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंराज।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता

निर्माण कार्य पूर्ण कराने की अवधि :–

1. किसी भी कार्यकारी संस्था द्वारा निर्माण कार्य को सामान्यतः पूर्ण करने की अवधि निम्नानुसार होगी –

क्र.सं.	स्वीकृत राशि	निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकतम अवधि
		भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए
1	रु. 5 लाख तक	7 माह
2	रु. 10 लाख तक	9 माह
3	रु. 10 लाख से अधिक	12 माह
		चार दीवारी, सुरक्षा दीवार, खरंजा/सड़क, नाली निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए
1	रु. 5 लाख तक	6 माह
2	रु. 10 लाख तक	7 माह
3	रु. 10 लाख से अधिक	9 माह
		तालाब/एनीकट निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए
1	रु. 10 लाख तक	4 माह (वर्षा काल एवं वर्षा उपरान्त जल संग्रहण ढांचों में जल भराव अवधि को छोडकर) यथा सम्भव तालाब एवं एनिकट निर्माण के कार्यों को जल संग्रहण ढाचे में अपेक्षित स्तर से पानी का लेवल नीचे जाते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे एवं हर स्थिति में वर्षा काल प्रारम्भ होने से पूर्व इस कार्य को पूर्ण किया जावे। वर्षा काल से पूर्व पूर्ण नहीं होने की स्थिति में इसे सेफ स्टेज पर लाया जावे। किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए कार्यकारी संस्था जिम्मेदार होगी।

2. उपरोक्त अवधि सामान्य परिस्थितियों के आधार पर है। लगातार वर्षा के कारण बाधित अवधि को और अनुमत किया जा सकेगा। इस अवधि में भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में लागत वृद्धि के लिए कार्यकारी संस्था जिम्मेदार होगी।
3. कार्य की लागत राशि उपरोक्त सीमा से ज्यादा होने पर कार्य पूर्ण कराने की अवधि का निर्धारण तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अभियन्ता द्वारा किया जा सकेगा।
4. कार्य पूर्ण करने की अवधि में यदि कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो कार्य की स्वीकृति को सक्षम अधिकारियों से पुनर्वैध (Revalidate) कराया जावे तभी कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। पुनर्वैध नहीं होने पर सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जावे एवं कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण संबंधित कार्यकारी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे। ऐसे प्रकरणों में लागत वृद्धि के लिए कार्यकारी संस्था पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगी।

दोष चिन्हीकरण अवधि (डिफेक्ट डिटेक्टिंग पिरियड)–

1 **दोष चिन्हीकरण अवधि** – किसी भी कार्यकारी संस्था द्वारा निर्मित/सम्पादित प्रत्येक नवीन कार्य में डिफेक्ट डिटेक्टिंग पीरियड (DDP) के भीतर सम्पूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार का नुकसान होने, खराब गुणवता दृष्टिगोचर होने की स्थिति में कार्यकारी संस्था जिम्मेदार होगी। कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से (DDP) निम्नानुसार होगा –

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	डिफेक्ट डिटेक्टिंग पिरियड
1.	किसी भी प्रकार का भवन कार्य	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
2.	ग्रेवल सडक निर्माण	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
3.	डब्ल्यूबीएम सडक निर्माण	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
4.	एनीकट निर्माण	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
5.	सामुदायिक टांका निर्माण	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
6.	खरंजा सडक निर्माण	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
7.	सीमेन्ट कॉकीट सडक निर्माण	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
8.	नाली निर्माण	पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष
9.	अन्य कार्य	अधिशाषी अभियंता द्वारा निर्धारित किया जावेगा

2 **दोष चिन्हीकरण अवधि की गणना करना** – पहली वर्षा काल समाप्ति के पश्चात से 1 वर्ष का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य का परीक्षण 2 वर्षा ऋतु समाप्ति पश्चात किया जा सकेगा। उक्त अवधि के तत्काल पश्चात कार्यकारी संस्था को संबंधित डिफेक्ट के बारे में कनिष्ठ अभियंता द्वारा लिखित में सूचित किया जावेगा एवं यदि कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है तो समस्त डिफेक्ट कनिष्ठ अभियंता को स्वयं के स्तर से ठीक कराने होंगे। संवेदकों के माध्यम से सम्पादित कार्यों में धरोहर/सुरक्षा राशि का भुगतान उपरोक्त अवधि के समाप्ती के पश्चात ही किया जावेगा।